## **To Authorize Un-authorized Colonies**

300. Shri Shishpal Singh Keharwala, M.L.A.: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the number of the unauthorized colonies regularized by the Government during the year 2020 in the State togetherwith whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize Jagbir Singh Colony, Khushi Ram Colony, Hisar colony and Master Colony of Kalanwali?

## Sh. Anil Vij, URBAN LOCAL BODIES MINISTER

Sir, the Government in the Urban Local Bodies Department do not regularize the unauthorized colonies but declare unauthorized colonies as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Area under the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016. In the year 2020, Government in Urban Local Bodies Department declared two colonies of Municipal Corporation, Faridabad as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas vide notification dated 17.01.2020. Further at present, there is no proposal under consideration of the Government to regularize the Jagbir Singh Colony, Khushi Ram Colony, Hisar colony and Master Colony in Kalanwali.

## अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करना

300. श्री शीशपाल सिंह केहरवाल, एम.एल.ए.: क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बतांएगे कि राज्य में वर्ष 2020 के दौरान सरकार द्वारा कितनी अनिधकृत कॉलोनियों को अधिकृत किया है तथा क्या कलांवाली की जगबीर सिंह कॉलोनी, खुशीराम कॉलोनी, हिसार कॉलोनी तथा मास्टर कॉलोनी को नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है?

## श्री अनिल विज, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

श्रीमान्, शहरी स्थानीय निकाय विभाग में सरकार अनियमित कॉलोनियों को नियमित नहीं करती परन्तु हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्ध (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 2016 के तहत अनियमित कॉलोनियों को नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना से अपूर्ण क्षेत्र घोषित करती है। वर्ष 2020 में शहरी स्थानीय निकाय विभाग में सरकार ने नगर निगम, फरीदाबाद की दो कॉलोनियों को अधिसूचना दिनांक 17.01.2020 द्वारा नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना से अपूर्ण क्षेत्र घोषित किया। इसके अलावा कंलावाली की जगबीर सिंह कॉलोनी, खुशीराम कॉलोनी, हिसार कॉलोनी और मास्टर कॉलोनी को नियमित करने का अभी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।